

डायरेक्टर,
निर्मला इन्फ्रा डेवलपर्स लि0,
2/12 माँ भवन, विभूतिखण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

विषय:- खसरा नं0-128(स), 129 व 130 ग्राम-धावा, देवा रोड चिनहट, लखनऊ मे मेसर्स निर्मला इन्फ्रा डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा उक्त स्थल पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अपने संशोधित पत्र दिनांक-23.08.17 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उपरोक्त विषयक है।

उपरोक्त विषयक प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के प्रस्तुत संशोधित मानचित्र का एन0बी0सी0-2016 एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर द्वारा निरीक्षण/परीक्षण कराया गया जिनकी आख्या का परिशीलन किया गया निम्न तथ्य प्रकाश में आये-

भवन की संरचना:-

1-कुल भूखण्ड एरिया-

13034.35 वर्गमीटर।

• प्रस्तावित भूतल से चतुर्थ तल का टिपिकल कर्वड एरिया-4292.12 वर्गमीटर।

• प्रस्तावित भवन ब्लाक-ए,बी,सी,डी,ई,एफ,जी,एच,पी व क्यू के रूप में निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।

2-भवन की अधिकतम ऊँचाई-14.50 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था -

1-पहुँच मार्ग-भूखण्डके सामने मानचित्र में 08.00 मीटर रोड की चौड़ाई है।

2-प्रवेश द्वार की चौड़ाई-दो-06.00 मीटर है, जो मानक के अनुसार है।

3-सेटबैक- भवन का न्यूनतम सैटबैक निम्नवत हैं-

- अग्रभाग- 05.00 मीटर।
- पृष्ठभाग- 05.00 मीटर।
- पार्श्वभाग प्रथम- 05.00 मीटर।
- पार्श्वभाग द्वितीय- 05.00 मीटर।

उपरोक्त भवन के सैटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है प्रत्येक ब्लाक के चारो ओर भी 06.00 मीटर चौड़ा सैटबैक छोड़ा जाना आवश्यक होगा। सैटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे। सैटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4-निकास मार्ग-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक में दो-दो स्टेयर केस प्रत्येक की चौड़ाई-01.37 मीटर का प्राविधान किया गया है जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत हैं।

5-रिफ्यूज एरिया का विवरण-प्रत्येक फ्लैट में बालकनी प्रस्तावित है।

(2)

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था-नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया-2016 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण की जानी अनिवार्य हैं।

1-भूमिगत टैंक-ब्लाको की संख्या अधिक होने के कारण भवन में 100000 लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

2-पम्प-ब्लाको की संख्या अधिक होने के कारण भूमिगत टैंक के पास 1620 एलपीएम क्षमता का एक विद्युत पम्प समकक्ष क्षमता का एक डीजल पम्प तथा 180 एलपीएम का जाँकी पम्प स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

3-होजरील-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक के प्रत्येक तल पर होजरील एन0बी0सी0 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

4-डाउनकमर-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक में डाउनकमर सिस्टम एन0बी0सी0-2016 के मानको के अनुरूप फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0 01339:1991 स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

5-यार्ड हाईड्रेन्ट-प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाईड्रेन्ट्स होज कैबिनेट एवं उसमें दो-दो डिलीवरी होज पाइप तथा एक-एक ब्रांच पाइप स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

6-टेरिस टैंक-भवन के प्रत्येक ब्लाक के टेरिस पर टेरिस टैंक-10000 लीटर क्षमता का स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

7-टेरिस पम्प-भवन के प्रत्येक ब्लाक के टेरिस टैंक के पास-450 एलपीएम क्षमता का टेरिस पम्प स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

8-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूसर)-भवन के प्रत्येक ब्लाक के प्रत्येक तल पर फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक हो

9-एग्जिट साइनेज-सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साइनेज स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

10-पी0ए0सिस्टम-सम्पूर्ण भवन में पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा।

11-प्रशिक्षित स्टाफ-भवन निर्माण होने के उपरान्त भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा उपकरणों के कुशल संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्तानुसार मेसर्स निर्मला इन्फ्रा डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा खसरा नं0-128(स), 129 व 130 ग्राम-धावा, देवा रोड चिनहट, लखनऊ में प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया-2016 में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानको के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र

9/9/2017
(ए0बी0पाण्डेय)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
लखनऊ।